दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 24 मई, 2010 / ज्येष्ठ 3, 1932 (शक)

संख्या-79

सदस्यों की नज़रबदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ हैः –

"मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मनोज शौकीन, श्री रमेश विधूडी, श्री कुलवन्त राणा, श्री सत प्रकाश राणा, व श्री धर्म देव सोलंकी को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत कानून व्यवस्था व जन शांति बनाये रखने के लिए प्रथम बैरीकेड, पुलिस थाना संसद मार्ग के सामने से दिनॉक 19.05.2010 को अपराहन 12.25 बजे नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन अर्थात दिनॉक 19.05.2010 अपराहन 12.40 बजे रिहा कर दिया गया।"

> पी.एन.मिश्रा सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday, 24th May 2010/ Jyaistha 3, 1932 (Saka)

No.79

Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, New Delhi Distt., New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi; S/Shri Manoj Shokeen, Ramesh Bidhuri, Kulwant Rana, Satya Prakash Rana, and Shri Dharm Dev Solanki were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for maintaining law and order and public peace from 1st barricade in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1225 hours on 19.05.2010.

They were released at 1240 hours from the same place on the same date. "

P. N. MISHRA Secretary